

गृह (गुप-8) विभाग

प्रा. - श्री. शासन, जयपुर

उप. शासन 340

दिनांक 19/2/19

क्रमांक: प.16(9)गृह-9/2017

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

जयपुर, दिनांक:- 14 FEB 2019

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला करौली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ग्राम पटौदा में स्थित मुम्बई मनसाड बिजवासन पाइपलाइन के स्टेशन-42 को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला करौली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ग्राम पटौदा में स्थित मुम्बई मनसाड बिजवासन पाइपलाइन के स्टेशन-42 को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

| क्र. स. | नाम तहसील | ग्राम | भूमि ख. नं. | रकबा | उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम |
|---------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | करौली | पटौदा | 1223/2 | 0.25 हैक्ट. | हिण्डौन श्रीमहावीरजी मुख्य सडक | खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.87 | खसरा नम्बर 1223/3 | खसरा नम्बर 1223/1 रकबा 0.23 |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
गृह विभाग

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. श्री यागेन्द्र कुमार शर्मा आर ओ यू ऑफिसर बीपीसीएल भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उप शासन सचिव गृह गुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
गृह विभाग